अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण/तत्काल
बैठक दिनांक 17.10.2023

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 698/एस0टी0–एस0डी0एम0/एन0जी0टी0/2023 दिनांक 16.10.2023

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश के समादर में बैठक।

1. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
4. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, शारदा नहर, खण्ड–2, लखनऊ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम गढ़ी चुनौटी, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ की स्थित गाटा संख्या 268 जो तालाब खाते में दर्ज है। उक्त तालाब के संरक्षण हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है।

उक्त के क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ द्वारा आहूत बैठक में कार्य योजना प्रस्तुत किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागो को निर्देशित किया गया था, किन्तु प्रस्तुत कार्य योजना में प्रश्नगत तालाब के संरक्षण हेतु स्पष्ट रूपरेखा सम्बन्धित विभागों द्वारा न प्रस्तुत करते हुए विभागीय स्तर पर उक्त प्रावधान/संसाधन न होने सम्बन्धी प्रस्तुत किया गया है, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त के दृष्टिगत एक अत्यावश्यक बैठक दिनांक 17.10.2023 को आहूत की जाती है, जिसमें पूर्व की बैठक में उपस्थित रहे, सभी विभाग कार्य योजना के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, जिससे मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा बैठक में प्रस्तुत विभागीय कार्य योजना का समुचित परीक्षण करते हुए तथा आवश्यकतानुसार उ0प्र0 शासन से समन्वय स्थापित कर ग्राम गढ़ी चुनौटी, की गाटा संख्या 268 तालाब का संरक्षण करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किया जा सके।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक : 699 / एस0टी0–एस0डी0एम0 / एन0जी0टी0 / 2023 दिनांक 16.10.2023

विषय :– <u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602 / 2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602 / 2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सम्बन्धित विभागों की एक्शन टेकन रिपोर्ट समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये गये है।

उक्त के क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ द्वारा आहूत बैठक में कार्य योजना प्रस्तुत किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागो को निर्देशित किया गया था, किन्तु प्रस्तुत कार्य योजना में प्रश्नगत तालाब के संरक्षण हेतु स्पष्ट रूपरेखा सम्बन्धित विभागों द्वारा न प्रस्तुत करते हुए विभागीय स्तर पर उक्त प्रावधान / संसाधन न होने सम्बन्धी किया गया है, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त तालाब ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, जिसके संरक्षण हेतु लघु सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, जल कल विभाग, वन विभाग के साथ पत्राचार किया गया था, किन्तु विभागीय प्रावधान व संसाधन अनुपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए तालाब के संरक्षण के सम्बन्ध में समुचित कार्य योजना किसी विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त तालाब ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण ग्राम्य विकास विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए चरणबद्ध रूप से तालाब के संरक्षण की दिशा में निम्नवत् कदम उठाया जाना अपेक्षित है :–

1. तालाब के समतल अथवा पटे हुए भू–भाग की खुदाई करते हुए तालाब को मूल स्वरूप में स्थापित किया जायेगा तथा खुदाई से प्राप्त मिट्टी से तालाब के चतुर्दिक तटबन्धों का निर्माण किया जायेगा।
2. तालाब के किनारे या कम गहराई वाले स्थानों पर जो झाड़ियां व वनस्पतियां उगी हुई हैं, उनकी छंटाई करके तालाब के किनारे–किनारे वन विभाग की सहायता से वृक्ष लगाते हुए तालाब का सौंदर्यीकरण किया जायेगा।
3. तालाब के आस–पास के घरेलू अपशिष्ट जल, जो तालाब में प्रवाहित हो रहा है, को तटबन्ध बना कर उस अपशिष्ट जल को तालाब में प्रवाहित होने से रोका जायेगा तथा सड़क के किनारे नाली का निर्माण कराते हुए घरेलू अपशिष्ट जल को तालाब से दूर निकाला जायेगा, जिससे तालाब में और गंदगी को रोका जा सके।

4. वर्तमान में तालाब में जल कुम्भी व अन्य घास तथा वनस्पतियां अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो गई हैं, उसे मशीनों की सहायता से उक्त वनस्पतियों तथा जल कुम्भी को बाहर निकाल कर जल को शुद्ध किया जायेगा।
5. वर्तमान में तालाब के पानी के नमूने का परीक्षण कराया जायेगा व परीक्षणोंपरान्त आवश्यकतानुसार तालाब के पानी के शुद्धीकरण हेतु जल विज्ञानी से परामर्श प्राप्त करके तालाब का शुद्धीकरण किया जायेगा।

उक्त कार्यों हेतु पूर्व में चयनित विभागों के पास प्रावधान व बजट के अभाव में समुचित कार्यवाही नहीं हो सकी। वर्तमान में उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु विभागीय समन्वय व आर्थिक तथा तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता है। इसके लिये ग्राम्य विकास विभाग को नोडल विभाग नामित किया जा चुका है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये दो माह का अतिरिक्त समय दिलाने का कष्ट करें, जिससे जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का संकलन करके तथा उ0प्र0 शासन से इन संसाधनों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में पत्राचार करके तालाब का संरक्षण करते हुये मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जा सके।

भवदीय,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

संख्या व दिनांक तद्
<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. श्री भंवर सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।